



डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DR. HARI SINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M. P.)

(A Central University)

क.आर/स्था/परि./2025/366

03/11/2025

परिपत्र

विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के टेलीफोन/मोबाइल प्रतिपूर्ति के संबंध में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश No.Fin.&Acctt/2011-12/1656 दिनांक 01.09.2011 एवं अन्य संबंधित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन एवं व्यय विभाग (DOE), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या F.No. 24(3)/E.Coord/2018 दिनांक 26.03.2018 को संज्ञान में लेते हुये निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है कि-

1. उक्त प्रतिपूर्ति (Reimbursement) में लैंडलाइन/मोबाइल/ब्रॉडबैंड/मोबाइल डेटा/डेटा कार्ड कनेक्शन शामिल होगा। जिस हेतु कोई पृथक-पृथक अधिकतम सीमा नहीं होगी अपितु यह विश्वविद्यालयीन आदेश में उल्लेखित निर्धारित सीमा या वास्तविक व्यय तक ही सीमित होगी।
2. संबंधित अधिकारी द्वारा बिल/रसीद प्रस्तुत करने पर राशि पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी उक्त हेतु सेवा प्रदाता और टैरिफ पैकेज चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।

अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

आदेशानुसार,

H. P. Sharma
कुलसचिव 03/11/2025

प्रतिलिपि:-

1. समस्त अधिकारी/कर्मचारी
2. वित्ताधिकारी/सहायक कुलसचिव, वित्त एवं लेखा - आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी/निदेशक/अधिष्ठाता।
4. प्रभारी, आई.टी. सेल - वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
5. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक - सूचनाार्थ।
6. संबंधित नस्ती/गार्ड फाइल।

R. Tiwari
03.11.2025
सहायक कुलसचिव (स्था.)